

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक- 15-12-17

संख्या-18/लो०से०अ०-12-01/2016(खण्ड) 11960/बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 4, 2011) की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-17408 दिनांक-30.12.2016 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:-

2. उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-1 कम संख्या-7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	विभाग का नाम/सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा	
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। (i) नये राशन कार्ड का निर्गमन	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरांत अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के असाथ प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार स्तथापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। (iii) राशन कार्ड में त्रुटि/संशोधन/नाम जोड़ना/नाम हटाना)	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरांत अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के असाथ प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार स्तथापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरांत अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के असाथ प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार स्तथापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस

उपरोक्त कार्य विभाग	पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित						
क ई का प्रत्यर्पण/रद्दी करण	(ख) अनुशोका क अनाथ प्राप्त होने के पश्चात अधिकारानुसार सत्यापन एवं निष्पत्ति	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस

3 अधिसूचना संख्या-17408 दिनांक-30.12.2016 के साथ संलग्न सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक कागजात (परिशिष्ट-II), सामान्य निर्देश, लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अधीन नया राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र (प्रपत्र-क) एवं लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अधीन विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण अथवा विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण (Surrender)/रद्दीकरण का (प्रपत्र-ख) पूर्ववत् रहेंगे।

4 सेवा प्राप्त करने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आवश्यकतानुसार सन्दर्भ-समय पर इनसे संबंधित अन्य प्रपत्र, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात, जारी कर सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे)

सरकार के अपर सचिव

संख्या-18/लो0से0अ0-12-01/2016(खण्ड)सा0प्र0...../पटना 15 दिनांक-.....

प्रतिलिपि-पभारो पदाधिकारी गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0-सी डी.।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

संख्या-18/लो0से0अ0-12-01/2016(खण्ड)सा0प्र0\1960./पटना 15 दिनांक-15-9-17

प्रतिलिपि-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

(Handwritten Signature)
15 Sept 17